


16/01/19

पनावली प्रस्तुत हुई आरक्षण पर उक्त प्र  
 पत्र अनुपातिक प्रकरण के द्वारा द्वारा  
 अधि. न्याया. के अन्तिम डिग्री निधि  
 दिनांक 18/2/13 के अन्तर्गत प्रद. अर्थात्  
 प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रपत्र के अन्तर्  
 गत बंधन एवं पनावली के रेकॉर्ड  
 का जन्मलोकन एवं मानन करने पर  
 हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि  
 अधि. न्याया. द्वारा अपनी आरक्षण  
 डिग्री नि.दि. 23-2-08 में सिद्धांत  
 प्रस्ताव तैयार करने के लिए  
 तत्समील्यता बॉसवा. का अधि. प्र  
 किया जा। प्रकरण के आ. डिग्री का  
 पालना में अधि. प्र. तत्समील्यता  
 बॉसवा. द्वारा सिद्धांत प्रस्ताव  
 तैयार नहीं किया गया है तथा  
 अपनी प्रत्याभोजित शक्तियों की  
 उप-प्रत्याभोजित किया है तथा सभी  
 सर्वव्यापक प्रशासन की  
 सुविधा प्राप्त करने की मांग  
 उपलब्ध नहीं है। तदनुसार  
 अधि. न्याया. की अन्तिम डिग्री  
 निधि दि. 18/2/13 विधिक रूप से  
 प्रेषित है। अतः अधि. न्याया. की  
 अन्तिम डिग्री निधि 18/2/13  
 अर्थात् किया जाकर प्रकरण



प्रमुख अधिकारी  
 राजस्व और न्यायिक  
 लखनऊ (उ.प्र.)

तारीख दुबम	BSW-D-8/12 श्रीमोयलाल एस हेमन्त दुबम पर कायदाही भव इनिजियरस जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुबम को तारीख में जारी हुए
	<p>           डा. वि. न्याया. को प्रस्तावित कर            निर्देशित किया जाता है कि पररण            में हस्त <del>काम</del> डिग्री तहसील पर            स्वयं उक्त पुरा को विधिवत सुव्यव            करती हुई समाप्त प्रस्ताव अवि.            न्याया. में प्रस्तुत कर एवं उक्त            न्याया. उक्त पुरा से प्राप्त            आपत्तियां, यदि कोई हों, का विधि            निस्तारण कर प्रकरण में अग्रिम            डिग्री-न्याया. पारित करें। उक्त            पत्र डा. वि. न्याया. में दि. 25<sup>3</sup>/<sub>19</sub>            को उपस्थित होवे। पत्रावली फेरक            हुआ होकर बाद कार्रवाई नकर            से कतली। अफेस सुनाया गया।         </p>	 <p>           जयपुर (राज.)            जयपुर (राज.)         </p>